"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2007—आश्विन 27, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-01-01/2007/एक/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992), संचालक, महिला एवं बाल विकास, पदेन विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

क्रमांक 1029/1500/2007/1/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति विकास योजनाएं मद अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की बजटीय प्रक्रिया सम्पादित करने, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने, उपयोजना डाक्यूमेंट तैयार करने तथा उपयोजना कार्यक्रम संबंधी अन्य कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित करता है.

2. इस हेतु वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 590/15843, दिनांक 12-9-07 द्वारा सहमति दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्रमांक ई-7/05/2006/1/2.—श्री एस. पी. शोरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 23-10-2007 से 30-10-2007 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर विदेश (मलेशिया एवं सिंगापुर) यात्रा की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शोरी आगामी आदेश तक उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शोरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शोरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2007

क्रमांक ई-7/13/2007/1/2.—श्री अंकित आनन्द, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, दन्तेवाड़ा को दिनांक 21-06-2007 से 22-06-2007 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री अंकित आनन्द को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित आनन्द, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

क्रमांक 741/783/2007/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग को दिनांक 17-9-2007 से 22-9-2007 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. आर. मिश्रा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. आर. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 743/2070/2007/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 310-11/2007/1-8/स्था., दिनांक 2-6-2007 द्वारा श्री बी. रामेश्वर राव, अवर-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23-6-2007 से 29-6-2007 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. रामेश्वर राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. रामेश्वर राव अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक 745/2070/2007/1-8/स्था.—श्री बी. रामेश्वर राव, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 27-8-2007 से 3-9-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. रामेश्वर राव को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. रामेश्वर राव अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-9/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई के बायलर क्रमांक-एम..पी./4075 को दिनांक 21-09-2007 से 20-12-2007 तक एवं इकोनोमाइजर क्रमांक-सी. जी./E-01 को दिनांक 10-09-2007 से 09-12-2007 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 8-8/2007/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स एन. टी. पी. सी. सेल पावर लि. भिलाई के बॉयलर क्रमांक-एम. पी./3521 को दिनांक 25-09-2007 से 24-11-2007 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2007

क्र./3926/कृषि/किसान आयोग/2006/14-2.—चूंकि सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं प्रथम हरितक्रांति के प्रणेता प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य सरकारों से राज्य किसान आयोग के गठन की अनुशंसा की गई थी. और चूंकि "जय किसान-राष्ट्रीय कृषक नीति" को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग के दल द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2006 को छत्तीसगढ़ के कृषकों, कृषक संगठनों, वैज्ञानिकों व वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की गई एवं इस परिचर्चा के दौरान राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा किसान आयोग को सुदृढ़ करने के लिए निचले स्तर तक ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है "जो विभिन्न स्तरों पर कृषकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को ज्ञात कर उसके निराकरण के लिए उपयुक्त सुझाव दे सके एवं नियमित अध्ययन करता रहे."

2. इसलिए राज्य शासन एतद्द्वारा मान. मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन की अध्यक्षता में ''छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्'', जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा, का गठन करती है :—

2.1 छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद्

(अ) परिषद् के पदेन पदाधिकारी एवं सदस्यगण

1.	अध्यक्ष	मुख्यमंत्री
2.	उपाध्यक्ष	कृषि मंत्री

(ब) पदेन सदस्य

(i)	वित्त मंत्री	सदस्य
(ii)	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
(iii)	ग्रामीण विकास मंत्री	सदस्य
(iv)	राजस्व मंत्री	सदस्य
(v)	ऊर्जा मंत्री	सदस्य
(vi)	सहकारिता मंत्री	सदस्य
(vii)	आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति मंत्री	सदस्य
(viii)	वन मंत्री	सदस्य

(स) पदेन सदस्य (शासकीय अधिकारी)

1.	मुख्य मचिव	सदस्य
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, जल संसाधन	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग.	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव, सहकारिता	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि	सदस्य सचिव
12.	संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं	सदस्य
13.	संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
14.	संचालक, मछलीपालन	सदस्य
15.	संचालक, छ. ग. राज्य कृषि प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर	सदस्य
16.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड	सदस्य
17.	प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ	सदस्य
18.	संचालक, अनुसंधान सेवाएं इं. गां. कृ. वि. वि. रायपुर	सदस्य
19.	प्रबंध संचालक, बीज एवं कृषि विकास निगम	सदस्य
20.	संचालक, विस्तार सेवाएं इं. गां. कृ. वि. वि. रायपुर	सदस्य
21.	संचालक, कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य

(द) नामांकित सदस्य :—

(अ) कृषि एवं उससे जुड़े उद्यम अर्थात् उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों से जुड़े तथा उसका व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला प्रत्येक क्षेत्र से राज्य शासन द्वारा नामांकित न्यूनतम एक कृषक सभी क्षेत्रों से अधिकतम दस कृषक.

(ब) कृषि, बागवानी (उद्यानिकी), वानिकी, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछलीपालन, मौसम विज्ञान, बायोटेक्नालाजी के क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर के राज्य शासन द्वारा नामांकित एक-एक विषय विशेषज्ञ.

(स) नामांकित सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष होगा.

2.2 **छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् का उत्तरदायित्व :—**

(1) परिषद् कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन एवं उससे जुड़े सामयिक एवं दीर्घकालिक विषयों पर विचार-विमर्श का एक मंच रहेगा तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन एवं कृषक कल्याण से सम्बद्ध अन्य विषयों पर चर्चा करके शासन को यथोचित निर्णय लेने हेतु सुझाव/अनुशंसा देना. परिषद् की अनुशंसा के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन/संशोधन किया जावेगा.

(2) परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित होंगी. अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेंगी.

2.3 **छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् निम्नलिखित के संबंध में सुझाव तथा अनुशंसाएं दे सकेगी :—**

(1) प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए खेती को टिकाऊ एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना ;

(2) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कृषि नीतियों/कार्यक्रमों के संबंध में सुझाव देना ;

(3) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु कृषि साख की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना;

(4) सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती के विकास, भूमि जल संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना;

(5) बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का अध्ययन कर समस्या निवारण हेतु सुझाव देना;

(6) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों से प्राप्त उत्पादों के भंडारण एवं मूल्य संवर्द्धन तथा वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था एवं कृषि विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि को विकासोन्मुखी (प्रोग्रेसिव) बनाने के लिए सुझाव, अनुशंसाएं देना;

(7) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों के अंतर्गत कृषि ऋणों के संबंध में वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन कर इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव देना ;

(8) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कौशल, उन्नयन, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना ;

(9) शिक्षित युवाओं को खेती में बनाये रखने व आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना और इस प्रयोजनार्थ मिश्रित खेती (Mixed Farming) को बढ़ावा देने एवं इसके संदर्भ में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धतियों की अनुशंसाएं देना ;

(10) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में प्रसार की वर्तमान व्यवस्था/संरचना, "आत्मा" व अन्य राज्यों में इसके जैसी परिचालित अन्य समन्वित प्रसार व्यवस्थाओं का अध्ययन कर कृषि प्रसार तंत्र के सुदृढ़ीकरण व किसानोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव देना ;

(11) स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के निराकरण हेतु कृषि अनुसंधान प्रारंभ करने कृषकों, प्रसार कार्यकर्त्ताओं एवं वैज्ञानिकों के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/व्यवस्था सुझाना ;

(12) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में आदानों की आबाध आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु संचालित व्यवस्था का अध्ययन कर सुधार हेतु सुझाव देना ;

(13) जैविक खेती को बढ़ावा देने संभावनायुक्त क्षेत्रों व फसलों की पहचान व प्राप्त उत्पादों के निर्यात/विपणन पर अध्ययन कर सुझाव देना ;

(14) कमांड एरिया में विविधीकृत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को बढ़ावा देने आवश्यक सुझाव, अनुशंसाएं देना ;

(15) कृषि व ग्रामीण संसाधनों पर आधारित कुटीर उद्योगों के विकास से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण व कृषि मजदूरों के पलायन की समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना ;

(16) कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन के अंतर्गत आवश्यक आदान वितरण एवं कृषि प्रसार में "कृषि स्नातकों" के उपयोग पर सुझाव देना;

(17) कृषि कार्यों में सहयोगी खेतीहर मजदूरों, लोहार, बढ़ई, चर्मकार, शिल्पकार तथा कृषि कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले ग्राम स्तरीय तकनीशियनों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना ;

(18) प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं किसानों के बीच बेहतर समन्वय हेतु उपाय सुझाना ताकि शासकीय योजनाओं का कृषकों को अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सके ;

(19) परिषद् स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव दे सकेगी.

3. किसान कल्याण परिषद् के संचालन के लिए पृथक से कार्यालय अथवा भवन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु परिषद् में सम्मिलित नामांकित सदस्यों के दैनिक एवं यात्रा भत्ते, बैठक के आयोजन में होने वाले सामान्य खर्चों के लिए परिषद् का प्रतिवर्ष एक निर्धारित बजट होगा.

4. परिषद् के अशासकीय सदस्यों को परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित रहने के लिए आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ऐसे यात्रा एवं दैनिक भत्ता संदत्त किये जायेंगे जो राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को लागू होते हों. व्यय का भुगतान परिषद् के लिए बजट में प्रावधानिक धनराशि से किया जावेगा.

5. "छ. ग. राज्य कृषक कल्याण परिषद्" के कार्यों के सुचारू रूप से संपादन, परिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय तथा की जा रही मैदानी कार्यवाहियों के अनुश्रवण के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन एक अलग प्रकोष्ठ होगा जिसमें निम्नानुसार अमला होगा :—

क्र.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	संयुक्त संचालक कृषि	12000-16500	1
2.	शीघ्रलेखक वर्ग-1	6500-10500	1
3.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	1
4.	डाटा एण्ट्री आपरेटर/सहायक ग्रेड-3	3050-4590	1
5.	भृत्य	2550-3200	1

इनके वेतन-भत्तों का भुगतान कृषि संचालनालय से किया जावेगा.

6. छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद् के व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2007

क्रमांक 856/1075/07/स्था/चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में शासकीय जमा काउंटर खोला जाना है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखा को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है—

(1) भारतीय स्टेट बैंक बागबहरा शाखा, जिला महासमुंद.

No.856/1075/2007/ESTT./IV.— Government deposit counter has to be opened in the branch of State Bank of India with a view to facilitated the local residents. Hence the State Government transaction with the following branch of State Bank of India—

(1) State Bank of India, Bagbahara Branch, District Mahasamund.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. श्रीनिवासुलु, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-50/दो/गृह/07.—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "विधि तथा प्रक्रिया" (केवल नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री गोपाल वर्मा	वाणिज्यिक कर अधिकारी	उच्चस्तर
		परीक्षा केन्द्र-रायपुर	
2.	श्री अशोक तिवारी	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर
3.	श्री संदीप कुमार यदु	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर
4.	श्री सी. खलखो	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर
5.	श्री प्रकाश गुप्ता	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-54/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 एवं 25 जुलाई, 2007 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी व सी (बिना पुस्तकों)

द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री भुवनेश यादव	सहायक कलेक्टर	प्रथम, द्वितीय, तृतीय उच्चस्तर
2.	श्रीमती जयश्री जैन	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय
3.	श्री आर. आर. चुरेन्द्र	अधीक्षक	तृतीय में उच्चस्तर
		परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर	
4.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर

निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर
2.	कु. श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	द्वितीय एवं तृतीय में उच्चस्तर
3.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर	प्रथम एवं द्वितीय उच्चस्तर
4.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय
5.	श्री पी. दयानन्द	सहायक कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय
		परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर	
6.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	तृतीय में उच्चस्तर द्वितीय में निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-54/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 24 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र भाग-ए (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री संकल्प साहू	सचिव छ. ग. राज्य आदिमजाति एवं अल्पसंख्यक आयोग.	द्वितीय में उच्चस्तर से

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक एफ-9-70/दो/गृह/07.—पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. रेनू प्रकाश	जिला महिला बाल विकास अधिकारी	उच्चस्तर
2.	श्रीमती सरोज बाला	पर्यवेक्षक	निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-9-47/दो/गृह/07.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 23 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्न पत्र (पुस्तक सहित) द्वितीय प्रश्न पत्र "दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना" विषय में सम्पन्न हुई थी में निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उक्त प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र-रायपुर	
2.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उत्तीर्ण उच्चस्तर
3.	श्री अंकित आनंद	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उत्तीर्ण उच्चस्तर
4.	श्री भुवनेश यादव	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उत्तीर्ण उच्चस्तर
5.	सुश्री श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उत्तीर्ण उच्चस्तर
6.	श्री राजकिशोर वर्मा	वरिष्ठ श्रेणी पारगामी	द्वितीय में निम्नस्तर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-9-82/दो/गृह/07.—पशु चिकित्सा विभाग के सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "लेखा" प्रथम प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. लोचन चंदन	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर	
2.	श्री सुनील कुमार भांडेकर	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
3.	श्री प्रहलाद कुमार लाठत्रे	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
4.	डॉ. पराग कुमार बन्सोड़	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
5.	श्री यादव कुमार रात्रे	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर
6.	श्री राजकुमार गड़पायले	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ	उच्चस्तर

रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ-9-97/दो/गृह/07.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई, 2007 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आर. आर. चुरेन्द्र	अधीक्षक	निम्नस्तर
2.	सुश्री श्रुति सिंह	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
3.	श्री एस. भारति दासन	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री भुवनेश यादव	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
5.	श्री पी. दयानन्द	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
6.	श्री सी. आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर
7.	श्री देश कुमार कुर्रे	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र-बिलासपुर	
8.	कु. तुलिका प्रजापति	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
9.	श्री रामनाथ राम सममानी	अधीक्षक	निम्नस्तर
10.	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
11.	कु. सुनीता केशरवानी	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
		परीक्षा केन्द्र-जगदलपुर	
12.	श्री आर. प्रसन्ना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय पिल्ले, सचिव.

गृह (परिवहन) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2007

क्रमांक 1023/परि./07.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 67 की उपधारा (1) एवं उक्त उपधारा के खण्ड (क) से (घ) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 7-3-99/आठ, दिनांक 23-11-1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को वाहनों का उसमें उल्लेखित भाड़ा को निर्धारित करने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश देती है :—

निर्देश

नीचे दी गई अनुसूची में कॉलम-एक में उल्लेखित प्रकार के संविदा वाहन तथा प्रक्रम वाहन के रूप में संचालित नगर वाहनों के कि.मी. मापित दूरी के लिए प्रभारणीय अधिकतम भाड़ा उक्त अनुसूची के कॉलम-02 में उनके सामने उल्लेखित दरों के समान होगा :—

स. क्र.	संविदा वाहन का प्रकार	किराये की दर
1.	मोटरकेब/टेक्सी (डीजल चलित)	रु. 06.00 प्रथम कि.मी. या उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 03.50.
2.	मोटरकेब टेक्सी (पेट्रोल चलित)	1/2 कि.मी. हेतु रु. 03.50 न्यूनतम भाड़े के विषय के लिए रु. 10.00 लिया जायेगा.
3.	तीन पहिये वाले टेम्पो डीजल चलित जिसकी बैठक क्षमता चालक को छोड़कर 06 सीट हों.	रु. 05.00 प्रथम कि. मी. अथवा उसके भाग के लिए, तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 03.50.
4.	स्कूटर-रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 06.00 प्रथम कि.मी. अथवा उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
5.	स्कूटर-रिक्शा (पेट्रोल चलित)	रु. 08.00 प्रथम कि. मी. अथवा उसके भाग के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 05.00.
6.	सीटी बस (प्रक्रम/संविदा वाहन) जो कि नगर-निगम/छावनी क्षेत्रों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों या नगर-पालिक या पार्श्वस्थ मार्गों जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों, पर चलाये जाते हों.	
	(क) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 07 से 13 सीटर तक चालक को अपवर्जित करते हुए हों.	प्रथम तीन कि. मी. तक प्रति यात्री/सीट के लिए रु. 03.00 और तत्पश्चात् प्रत्येक कि.मी. या उसके भाग के लिए रु. 0.50 पैसे.
	(ख) ऐसे यान जिनकी बैठक क्षमता 13 से अधिक हों, के लिए.	प्रथम 03 कि. मी. तक रु. 03.00 07 कि.मी. तक का किराया रु. 04.00 10 कि.मी. तक का किराया रु. 05.00 13 कि.मी. तक का किराया रु. 06.00 16 कि.मी. तक का किराया रु. 07.00 19 कि.मी. तक का किराया रु. 08.00 22 कि.मी. तक का किराया रु. 09.00 25 कि.मी. तक का किराया रु. 10.00 25 कि.मी. से अधिक का किराया रु. 12.00

Raipur, the 15th October 2007

No. 1023/Trans./07.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and having regard to the provision of clauses (a) to (d) of the said Sub-section (1) and in supersession of Department Notification No. F-7-3-99/viii, dated 22nd Nov. 1999, the State Government hereby issues the following directions to the State Transport Authority and the Regional Transport Authorities in the State, regarding fixing of fares mentioned therein :—

DIRECTIONS

The maximum fare chargeable to the distance measured in Kilometers for the type of Contract Carriage and Stage Carriage of City Buses specified in column (1) of the schedule below shall be at the rates specified in corresponding entries against them in the column (2) of the said schedule.

SCHEDULE

S. No.	Type of Contract Carriage	Fare
1.	Motor Cab/Taxi (Diesel Driven)	Rs. 06.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 03.50 for every kilometer or part thereof.
2.	Motor Cab/Taxi (Petrol Driven)	Rs. 03.50 for 1/2 kilometer subject to a minimum of Rs. 10.00.
3.	Three wheeler Tempo (Diesel Driven) with seating capacity up to 06 excluding the driver.	Rs. 05.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 03.50 for every kilometer or part thereof.
4.	Scooter-Rickshaw (Diesel Driven)	Rs. 06.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
5.	Scooter-Rickshaw (Petrol Driven)	Rs. 08.00 for the first kilometer or part thereof, and thereafter Rs. 05.00 for every kilometer or part thereof.
6.	City Bus (Stage Carriage/Contract Carriage) plying within the Municipal Corporation/ Cantonment area or Special Area. Development Authority or on such routes serving Municipal and Adjacent area as may be approved by the State Government.	
	(a) Vehicle with seating capacity seven to thirteen excluding the driver.	Rs. 03.00 for the first three kilometers per passenger/ seat, and thereafter Rs. 00.50 paise for every kilometer or part thereof.
	(b) Vehicle with seating capacity exceeding thirteen.	Fare up to 03 kilometers Rs. 03.00 Fare up to 07 kilometers Rs. 04.00 Fare up to 10 kilometers Rs. 05.00 Fare up to 13 kilometers Rs. 06.00 Fare up to 16 kilometers Rs. 07.00 Fare up to 19 kilometers Rs. 08.00 Fare up to 22 kilometers Rs. 09.00 Fare up to 25 kilometers Rs. 10.00 Fare for more than 25 kilometers Rs. 12.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक/1629/अ. वि. अ./भू-अर्जन/09/अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	सेम्हरा	0.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, क्रमांक-03, रायपुर.	छुरा से रसेला मार्ग

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/126/अ. वि. अ./भू-अर्जन/11 अ/82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	सांकरा प. ह. नं. 46	7.72	कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लो. नि. वि., रायपुर (छ. ग.)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 6 के कि. मी. 156/10 पर प्रस्तावित जोंक पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8483/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बनियाटोला प. ह. नं. 62/40	0.270	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8484/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	हालेकोसा प. ह. नं. 62/40	1.026	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8485/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	भंडारपुर प. ह. नं. 38	1.611	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8486/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बरछाटोला प. ह. नं. 38	3.012	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8487/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बापूटोला प. ह. नं. 64/38	5.642	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 अक्टूबर 2007

क्रमांक/8488/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बिसाहुटोला प. ह. नं. 64/38	3.970	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	खातुटोला बॅराज के दायीं तट मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2017/33 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	हुच्चेटोला प. ह. नं. 30	2.74	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग	कुंदारी दल्ली व्यपवर्तन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय डौंडीलोहारा में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2019/34 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	मड़ियाकट्टा	1.73	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	मडियाकट्टा जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2020/32 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बालोद	साल्हे प. ह. नं. 27	13.65	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमाडुला जलाशय के अंतर्गत डुबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2021/31 अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडीलोहारा	गोडमर्रा	0.25	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ-स), बालोद अनुविभाग क्रमांक-1.	ग्राम सुरगांव से गोडमर्रा मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक/13/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	घठोली	2.75	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	हेम्प व्यपवर्तन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक/14/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	केंवाछी	01.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	करूवा व्यपवर्तन में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक/15/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	केंवाछी	3.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	सिंगपुर माइनर में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अगस्त 2007

क्रमांक 2/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	लोरमी	परसवारा	8.27	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	भरत सागर डूबान क्षेत्र

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

रा. प्र. क्र. 24/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	नेवासपुर	0.109	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 अगस्त 2007

रा. प्र. क्र. 26/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	दामापुर	0.170	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 27/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	झगरहट्टा	1.069	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2007

क्रमांक 28/अ-82/2006-2007.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	बिरगहनी प. ह. नं. 27	5.101	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	तोताकापा व्यपवर्तन योजना के (फीडर) नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	तमता प. ह. नं. 3	1.931	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना, मुख्य नहर एवं माइनर नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	चंदागढ़ प. ह. नं. 3	0.627	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना, मुख्य नहर के शाखा नहर एवं दउवापारा शाखा नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पण्डरीपानी प. ह. नं. 3	0.333	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना, मुख्य नहर एवं माइनर नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कुड़केलखजरी प. ह. नं. 3	0.585	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना, माइनर नहर-01 एवं 02.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	बालाझार प. ह. नं. 2	5.347	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	तमता जलाशय योजना, डुबान क्षेत्र एवं मुख्य नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पीठाआमा प. ह. नं. 18	1.958	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	पीठाआमा जलाशय योजना, स्पील चैनल.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2016/17 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-उरेटा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	158/5	0.03
	158/1	0.04
	157	0.12
	151	0.01
	148	0.24
	140	0.02
	137	0.11
	135	0.07
	134	0.03
	133/1	0.14
	133/2	0.06
	139	0.05
योग	12	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2018/18 अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-गुरामी, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.59 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	103	0.43
	106	0.12
	105	0.17
	4/1	0.30
	110	0.40
	121	0.39
	122	0.06
	114/1	0.02
	120	0.34
	119	0.29
	118	0.04
	144	0.06
	148	0.32
	147	0.02
	149/1	0.09
	150	0.41
	151	0.13
योग	17	3.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेतु निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2022/21 अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-अर्जूनी, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	29	0.34
	28/2	0.05
	32	1.05
	39	0.06
	40/1	0.03
	36/4	0.03
योग	6	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 26 सितम्बर 2007

क्रमांक 2023/23 अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-पुनारकसा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
49	0.11
181	0.23
48	0.36
43/3	0.02
101	0.21
150	0.05
53	0.22
105	0.20
99	0.04
102	0.34
103	0.17
112	0.24
130	0.35
131/2	0.08
132	0.06
536	0.36
466	0.25
63	0.90
75	0.73
129	0.50
154	0.25
156	0.35
158	0.17
178	0.83
174	0.08
68	0.05
173	1.02
543	0.17
516	0.29
525	0.74
533	0.28
532	0.09
537	0.13
538	0.11
66	0.30
76	0.13

	(1)	(2)
	72	0.07
	113	0.15
	155	0.51
योग	31	11.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 03/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-परसदा, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.31 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	28	0.34
	38	0.14
	32/1	0.40
	40	0.88
	29	1.02
	3	0.71
	32/2	1.53
	41	0.74
	30	0.36
	31	0 23
	36	0.18
	42	1.40
	34	0.21
	33	0.79
	37	0.44
	160	1.65
योग		10.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-परसदा जलाशय में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 04/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-नवागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुंरा, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.60 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	796	1.60
योग		1.60

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ढाबा व्यपवर्तन योजना में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 06/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-जेवरी, प. ह. नं. 32
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	571/1	0.07
	577	0.25
	573	0.13
	576, 578/2	0.11
योग		0.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हथमुड़ी नहर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 07/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-अमोरा, प. ह. नं. 32
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.04 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	246	0.04
योग		0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमोरा माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 08/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-बेमेतरा
  (ग) नगर/ग्राम-अडबंधा, प. ह. नं. 09
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
127/1	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोहारडीह माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 09/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-बीजाभाठ, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-03.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
778/1	0.05
677	0.08
698/2	0.03
698/8	0.06
480/6	0.07
728/2	0.04
726	0.08
683	0.07
680	0.07
720	0.02
779	0.05
436/1, 2, 3, 4	0.05
695	0.05
697/2	0.07
485	0.04
688	0.07
722	0.02
679	0.07
678	0.05
718	0.07
440	0.09
443	0.04
484/2	0.09
693	0.07
724	0.03
682/2	0.06
698/9	0.06
778/2	0.11
676	0.18
698/10	0.05
763/3	0.04
698/3	0.07
480/4	0.10
486	0.24
684	0.07
717	0.02
480/1	0.03
719	0.04
758	0.24
441	0.04
481	0.10
689	0.01
696	0.04
692	0.08
723	0.02
682/3	0.06
480/5	0.05
योग	03.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हथमुड़ी व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 10/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-खिलोरा, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-04.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5	0.04
1003	0.13
185	0.11
111	0.24
119/1	0.16
201	0.11
123	0.12
981/2	0.10
197	0.06
982	0.24
160	0.12
11	0.07
125/1	0.05
187	0.10
116	0.08
117/2	0.14
977	0.20
127	0.07
985/4	0.16
159	0.03
979	0.14
177	0.08
12	0.12
124/2	0.03
196	0.04
118	0.16
184/2	0.06
195	0.10
157	0.10
14/1	0.07
13	0.05
423	0.01
186	0.04
115	0.03
119/2	0.17
422	0.20
126	0.07
985/1	0.02
988	0.16
161	0.13
178	0.10
124/1	0.10
188	0.01
987	0.11
184/1	0.02
986	0.15
156	0.01
198	0.05
योग	04.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- हथमुड़ी व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 28 सितम्बर 2007

क्रमांक 11/अ-82/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेमेतरा
- (ग) नगर/ग्राम-जेवरी, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-01.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1127	0.04
571/1	0.12
565/1	0.10
607	0.04
571/3	0.02
1148/2	0.01
1128	0.04
572, 569, 571/2	0.11
630	0.05
602/1	0.04
1129	0.03
568	0.07
601	0.05
635	0.10
602/2	0.01
1147/1	0.03
567	0.01
603, 605	0.11
649	0.05
602/3	0.10
1147/2, 1148/4	0.16
566	0.09
606	0.08
650	0.10
647/1, 647/2, 647/3	0.18
योग	01.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जेवरा माइनर में प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/7959/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.887 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	66	0.360
	140/3	0.527
योग	2	0.887

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोगरा बेराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक/7960/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-खड़खड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.783 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
287/2	0.120
171/1	0.227
400/4	0.327
400/6	0.089
400/8	0.506
400/12	0.182
387/6	0.620
387/8	0.186
405/4	0.425
322/7	0.415
302/2	0.971
322/4	0.845
322/6	0.259
387/5	0.230
387/7	0.190
136/1	0.133
322/3	0.666
435/3	0.174
280/1	0.218
योग 19	6.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोगरा बॅराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2007

क्रमांक 7961/भू-अर्जन/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-भुरभुसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
77/5	0.210
77/6, 82	0.182
23/12	0.194
28/11	0.077
योग 4	0.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोगरा बॅराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला-राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक/8271/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-भेंडरवानी, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.25 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
36/1	0.58
36/2	0.58
215/1	0 26
215/2	0.52
215/3	0.40
215/6	0.36
215/9	0.40
215/10	0.80
217/1	2.22
217/2	1.20
217/3	2.21
217/4	2.21
222/1	1.51
योग 13	13.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भरदा जलाशय के अन्तर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2007

क्रमांक/क/ख.लि./खुला. घो./2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म रायपुर द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बासीन	07	राजिम	848/1	0.72 ए.	श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर निवासी, फिंगेश्वर के नाम पर शासकीय भूमि खसरा 848/1 रकबा 0.72 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 31-12-01 से 30-12-06 तक लीज स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुका है.
2.	बरभाठा	07	राजिम	88/1	0.76 ए.	श्रीमती नम्रता दीवान पति श्री राजेश दीवान के नाम पर ग्राम बरभाठा स्थित भूमि खसरा नंबर 88/1 रकबा 0.76 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 26-11-2000 से 25-11-2005 तक पट्टा स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी है.
3.	बरभाठा	07	राजिम	4/1	0.30 ए.	श्री भागीरती साहू आ. श्री विषेश्वर साहू के नाम ग्राम बरभाठा शासकीय भूमि खसरा नंबर 4/1 रकबा 0.30 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 30-5-97 से 29-5-07 तक पट्टा उत्खनिपट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त हो चुकी है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	बरभाठा	07	राजिम	5/1	0.182 हे.	श्रीमती रागिनी गुप्ता पति श्री राजेन्द्र गुप्ता के नाम पर ग्राम बरभाठा खसरा नंबर 5/1 रकबा 0.182 हेक्टेयर क्षेत्र पर दिनांक 22-3-01 से 21-3-06 तक पट्टा स्वीकृत था-अवधि समाप्त हो चुका है.
5.	बिनौरी	06	राजिम	2	0.30 ए.	श्री रामकुमार ध्रुव आ. श्री बुधारूराम ध्रुव के नाम पर शासकीय भूमि ग्राम बिनौरी खसरा नंबर 2 का भाग रकबा 0.30 एकड़ क्षेत्र पर अवधि 7-6-01 से 6-6-2006 तक पट्टा स्वीकृत था. अवधि समाप्त हो चुकी है.
6.	निसदा	148	आरंग	1340	1.00 ए.	श्री सुभाष चन्द्र गोयल के नाम पर ग्राम निसदा स्थित भूमि खसरा नंबर 1340 रकबा 1.00 एकड़ क्षेत्र पर चूनापत्थर खनिपट्टा अवधि दिनांक 22-12-98 से 21-12-2008 तक पट्टा स्वीकृत खदान निरस्त किया गया है.
7.	बिनौरी	06	राजिम	31	0.60 ए.	श्री सुरेश साहू आ. श्री खोरबाहराराम साहू निवासी रोब के नाम ग्राम बिनौरी शासकीय भूमि खसरा नंबर 31 के भाग रकबा 1.60 एकड़ क्षेत्र पर पट्टा स्वीकृत अवधि दिनांक 9-5-03 से 8-5-2008 तक स्वीकृत खदान निरस्त किया गया है.
8.	निसदा	148	आरंग	197	2.72 ए.	श्री चन्दुलाल साहू आ. श्री लतेल साहू के नाम पर खसरा नंबर 197 रकबा 2.70 एकड़ क्षेत्र पर पट्टा स्वीकृत था अवधि समाप्त हो चुका है.
9.	बासीन	07	राजिम	848/27	0.405 हे.	श्री ललीत महाड़िक आ. श्री रघुपतराव महाड़िक के नाम ग्राम बासीन स्थित शासकीय भूमि खसरा 848/27 रकबा 0.405 हैक्टर क्षेत्र पर चूनापत्थर उत्खनिपट्टा अवधि 9-10-2000 से 8-10-2010 तक पट्टा स्वीकृत था. खदान निरस्त किया गया है.
10.	भसेरा	06	राजिम	1080	0.90 ए.	श्री विश्राम ध्रुव आ. श्री बोधन राम ध्रुव निवासी भसेरा के नाम पर ग्राम भसेरा स्थित भूमि खसरा 1080 रकबा 0.90 एकड़ क्षेत्र पर अवधि 3-7-04 से 2-7-2014 तक पट्टा स्वीकृत खदान निरस्त किया गया है उक्त सभी खदान रिक्त है.
11.	पारागांव	148	आरंग	1804, 1805, 1809	2.35 ए.	श्री नेमीचंद चन्द्राकर आ. श्री मोहल लाल चन्द्राकर के नाम पर ग्राम पारागांव तहसील आरंग स्थित भूमि खसरा नंबर 1804, 1805, 1809 शासकीय भूमि रकबा 2.35 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 16-8-97 से 15-8-2007 तक चूनापत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत था. अवधि समाप्त होने उपरान्त खदान रिक्त है.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2007

क्रमांक/क/ख.लि./खुला. घो./2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायानुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म रायपुर द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

क्र.	ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	लाभांडी	113	रायपुर	721/1, 2 टुकड़ा	8.90 ए.	श्री हरीश पहारे आ. श्री आर. ए. पहारे, निवासी गायत्री नगर रायपुर के नाम पर शासकीय भूमि खसरा 721/1, 2 टुकड़ा रकबा 8.90 एकड़ क्षेत्र पर दिनांक 19-7-02 से 18-7-2012 तक स्वीकृत है. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 2364-65/खनि 1/ न. क्र. 4/2002 रायपुर दिनांक 4 अगस्त, 2007 को व्यपगत घोषित किया गया है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/क/खलि/तीन-1/खुला घोषित/2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खपरीडीह	27	कसडोल	154/1 क/1	2.50 एकड़	श्री परामानंद को दिनांक 17-9-97 से 16-9-2007 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान की अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.
तुरमा	23	भाटापारा	62/6, 8, 12, 13	2.50 एकड़	श्रीमती अंजू जैन को दिनांक 13-9-2001 से 12-9-2006 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान की अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त है.

रायपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/क/खलि/तीन-1/खुला घोषित/2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत जिला रायपुर स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 (दिन) पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का

रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम (1)	प. ह. नं. (2)	तहसील (3)	खसरा नंबर (4)	रकबा (5)	अन्य विवरण (6)
मांढ	27	तिल्दा	253/2, 3	4.90 एकड़	जय चितावर खदान कामगार सहकारी समिति मांढ को दिनांक 4-10-97 से 3-10-2007 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
दर्रा	08	कसडोल	220/2, 229/3	0.20 एकड़	श्री दुखी राम साहू को दिनांक 24-7-04 से 23-7-2009 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.
खपरीडीह	18	कसडोल	154/1 क 1	2.90 एकड़	श्री विनोद कुमार शर्मा को दिनांक 8-6-2002 से 7-6-2007 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान पट्टा की अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त.
मूरा	32	तिल्दा	632, 633/1, 2, 3	3.86 एकड़	साई मिनरल्स प्रो. श्रीमती अमिता सिंघानिया को दिनांक 1-10-02 से 30-09-07 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान पट्टा की अवधि दिनांक 30-9-2007 से समाप्त होने के फलस्वरूप खदान रिक्त.
ओटगन	06	तिल्दा	563/2	2.50 एकड़	श्री मनोज शर्मा को दिनांक 9-6-03 से 8-6-2008 तक स्वीकृत चूनापत्थर खदान पट्टा निरस्त होने के कारण खदान रिक्त है.

टामन सिंह सोनवानी,
अपर कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

दंतेवाड़ा, दिनांक 25 सितम्बर 2007

क्रमांक/2428/खनिज/उ. प./2006.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम धोबनपाल के खसरा क्रमांक 91 रकबा 3.415 हे. क्षेत्र पर गौण खनिज चूना पत्थर का उत्खनिपट्टा श्री नरेश गुप्ता के पक्ष में दिनांक 31-7-2002 को स्वीकृत उत्खनिपट्टा के अनुबंध निष्पादन दिनांक 5-8-2002 को होने के पश्चात् पट्टा कु. प्रियंका गुप्ता को स्थानांतरित किया गया.

2. पट्टाधारी द्वारा अनुबंध निष्पादन की तिथि से 01 वर्ष कार्य प्रा. नहीं करने के कारण (Lapse) पश्चात् छ. ग. गौण खनिज अधिनियम, 1996 के नियम 30 (5) के तहत अनुसूची में उल्लेखित क्षेत्र को व्यपगत किया गया है.

अनुसूची

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	तहसील (3)	प. ह. नं. (4)	खसरा क्र. (5)	रकबा (6)	खनिज (7)
1.	धोबनपाल	कोन्टा	14	91	3.415	चूना पत्थर

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, बस्तर (जगदलपुर), (छ. ग.)

जगदलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक 31/99-2007/नवम.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का संख्यांक 19) की धारा 13 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, जी. एस. मिश्रा, जिला दण्डाधिकारी, बस्तर जिला, जगदलपुर एतद्द्वारा बस्तर जिले में पूर्व में जारी एतद् विषयक अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए बंधक श्रमिकों के विमुक्ति, पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

1.	अपर कलेक्टर, जगदलपुर	–	अध्यक्ष
2.	श्री सोमारू राम धुरवा, ग्राम तीरथगढ़, वि. ख. दरभा	–	सदस्य
3.	श्री मानसाय मौर्य, आमागुड़ा, जगदलपुर	–	सदस्य
4.	श्री बुधसेन कश्यप, भुरसुडी, तहसील जगदलपुर	–	सदस्य
5.	श्री धरमपाल सैनी, कन्या आश्रम, डिमरापाल	–	सदस्य
6.	श्री नीटु भदौरिया, आकाशवाणी रोड, जगदलपुर	–	सदस्य
7.	उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, जगदलपुर	–	सदस्य
8.	श्रीमती मधु परवेज "ट्राईव" स्वयंसेवी संस्था, शांतिनगर, जगदलपुर	–	सदस्य
9.	श्रीमती अंजुराय, अंजु सिलाई प्रशिक्षण संस्थान, गुरुनानक चौक, जगदलपुर	–	सदस्य
10.	शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जगदलपुर	–	सदस्य

जी. एस. मिश्रा,
जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

दंतेवाड़ा, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/1335.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का संख्यांक 19) की धारा 13 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा जिले में बंधक श्रमिकों के विमुक्ति, पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :—

उपधारा (अ)		श्री पी. अन्बलगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दन्तेवाड़ा (जिला दंडाधिकारी द्वारा मनोनित व्यक्ति)	अध्यक्ष
उपधारा (ब)	1.	श्री सोमारूराम परगनिहा, कैलाश नगर, दन्तेवाड़ा	सदस्य
	2.	श्री अर्जून कुंजाम, अधिवक्ता, दन्तेवाड़ा	सदस्य
	3.	श्री दीपक आदिले, पार्षद, वार्ड नंबर 6, दन्तेवाड़ा	सदस्य
		(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जिले में निवासरत जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)	
उपधारा (स)	1.	श्री घासी राम सोम, मेन रोड, दन्तेवाड़ा	सदस्य
	2.	श्री सुकू कर्मा, मंदिर पारा, दन्तेवाड़ा	सदस्य
		(जिला दंडाधिकारी द्वारा मनोनीत दो समाज सेवक जो जिले में निवासरत हों)	

उपधारा (द)	1.	श्री एन. के. भारद्वाज, कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यान्त्रिकीय सेवा, दन्तेवाड़ा	सदस्य
	2.	श्री एन. आर. के. चन्द्रवंशी, सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग, दन्तेवाड़ा	सदस्य
	3.	श्री सी. एस. परस्ते, कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दन्तेवाड़ा	सदस्य
		(जिले के ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारियों या गैर अधिशासी संस्था से संबंधित प्रतिनिधि राज्य शासन द्वारा मनोनीत)	
उपधारा (इ)	1.	श्री एफ. आर. गायकवाड़, प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-दन्तेवाड़ा	सदस्य
		(जिले के वित्तीय एवं बैंकिंग संस्थाओं से जिला दंडाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)	

के. आर. पिस्दा,
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा-छत्तीसगढ़

कोरबा, दिनांक 20 सितम्बर 2007

क्रमांक/9146/अधीक्षक/2007.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक ई-1-5/2006/1/2/ रायपुर दिनांक 04-08-2007 के अनुसार सुश्री आर. शंगीता, भा. प्र. से. की पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कटघोरा, जिला कोरबा के पद पर पदस्थ किये जाने के परिपालन में कार्यभार ग्रहण करने एवं श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर द्वारा जिला कार्यालय कोरबा में पद भार ग्रहण करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 8468/अधीक्षक/2007, कोरबा दिनांक 27-08-2007 संशोधित करते हुए जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य निम्नानुसार कार्य वंटन/कार्य विभाजन किया जाता है :—

01. **श्री एस. पी. नवरतन, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. वाचक कलेक्टर
2. नवोदय विद्यालय
3. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
4. ग्राम सुराज के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की समीक्षा
5. जिला शहरी विकास अभिकरण
6. सिटीजन हेल्प लाईन

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौपें गये अन्य कार्य

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आवंटित कार्य का निष्पादन करेंगे.

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	श्री पी. एल. निहलानी, अपर कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
2.	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर	श्री पी. एल. निहलानी, अपर कलेक्टर
3.	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर	श्री आर. एक्का, डिप्टी कलेक्टर
4.	श्री आर. एक्का, डिप्टी कलेक्टर	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
5.	श्री एस. एन. राम, डिप्टी कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
6.	सुश्री आर. शंगीता, (भा.प्र.से.) SDM KTG	श्री आर. एक्का, डिप्टी कलेक्टर
7.	श्री एस. पी. नंवरतन, संयुक्त कलेक्टर	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर
8.	कु. पद्मिनी भोई, डिप्टी कलेक्टर (परि.)	श्रीमती इफ्फत आरा, संयुक्त कलेक्टर

पी. एल. निहलानी,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 124/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 14-07-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 125/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), रायपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 14-07-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 126/दो-3-19/2000.—श्री संदीप बख्शी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 24-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 14-07-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 127/दो-2-19/2001.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-1999 से 31-10-2001 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 08-07-2001 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 128/दो-2-19/2001.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 08-07-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2007

क्रमांक 129/दो-2-19/2001.—श्री गिरीश चन्द्र बाजपेयी, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर वर्तमान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जांजगीर-चांपा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2007 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 08-07-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक 131/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-12-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-07-2003 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक 132/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 25-12-2006 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 01-07-2005 से प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.